



सुरक्षित

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:21868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 528 भ.ना.सु.सं. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2005 सन् 2025

चोटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं 4 अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : नदीम मूर्तजा, प्रशांत पुरी, उत्कर्ष श्रीवास्तव

विरोधी पक्षकार(रों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायामूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नदीम मूर्तजा, जिनकी सहायता श्री प्रशस्त पुरी, अधिवक्ता और श्री पार्थ आनंद, अधिवक्ता कर रहे थे, और श्री एस.एम. सिंह रॉयक्वार, अपर महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री अरुण कुमार वर्मा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता कर रहे थे, को सुन गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह आवेदन सत्र परीक्षण संख्या 299/2025, 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन' की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो थाना इकाउना, जिला श्रावस्ती में धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के साथ धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 12.5.2025 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 113/2025 से उत्पन्न हुई है और श्रावस्ती के माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, को पहले प्राथमिकी संख्या 261/2012 में धारा 302 और 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत झूठा फंसाया गया था, थाना - इकाउना, जिला - श्रावस्ती, जिसमें आरोप पत्र अत्यंत यांत्रिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8.3.2012 को लगभग 20:10 बजे, गांव सेमगरहा, थाना इकाउना निवासी किशन बहादुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसी दिन शाम लगभग 4:00 बजे, आवेदक होली के अवसर पर नृत्य और गीत प्रदर्शन दिखाने के बहाने अपनी लगभग छह वर्षीय भतीजी को ले गया, लेकिन लड़की घर वापस नहीं लौटी। तलाशी लेने पर लड़की का शव गांव के दक्षिणी भाग में स्थित गन्ने के खेत में मिला। अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर, आवेदक पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के अपराध के लिए आरोपपत्र दायर किया गया था। इसके बाद, सत्र न्यायालय ने आवेदक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 376 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए मृत्युदण्ड सुनाया और परीक्षण न्यायालय ने सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला भेजा। इसके बाद, आवेदक ने अपील दायर की, लेकिन मृत्युदण्ड की पुष्टि करते हुए मामले को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अनुमति मिलने के बाद, इसे आपराधिक अपील संख्या 361-362/2018

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें आवेदक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी (न्याय-मित्र) नियुक्त किया गया था। यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपील को दिनांक 28.9.2022 के आदेश द्वारा आवेदक को छोड़ते हुए स्वीकार कर लिया गया था और उपरोक्त निर्णय के प्रस्तर 87 में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदक इतना गरीब है कि वह सत्र न्यायालय में भी अधिवक्ता नियुक्त करने का खर्च वहन नहीं कर सकता था और उसके बार-बार अनुरोध करने पर ही न्याय-मित्र के रूप में एक अधिवक्ता की सेवा प्रदान की गई। न्यायालय ने आगे कहा कि साक्ष्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के अतिरिक्त, आवेदक का दोष संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ।

3.1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि 9.5.2025 को रात 10:16 बजे, थाना इकाउना, श्रावस्ती में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत अजय जायसवाल की लिखित शिकायत पर एक अन्य प्राथमिकी संख्या 110/2025 दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसी दिन रात 9:15 बजे, उनकी लगभग 7 वर्षीय बेटी तनु को शफीक, निवासी ग्राम इटाउंजा, थाना इकाउना, श्रावस्ती, दो अन्य लोगों के साथ अगवा कर ले गया। तलाश करने पर, आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें सड़क पर पकड़ लिया, और जब उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो शफीक उसकी बेटी के साथ पकड़ा गया, हालांकि, उसके दो साथी भाग गए। इसके बाद, शिकायतकर्ता अजय जायसवाल ने शफीक और अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि शफीक को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उससे उसके साथियों/ आरोपी व्यक्ति के बारे में पूछताछ नहीं की। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि पुलिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.9.2022 को आपराधिक अपील संख्या 361-362/2018

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(उपरोक्त) में दिए गए फैसले में की गई टिप्पणियों से नाराज थी, इसलिए आवेदक को उसके घर से उठाया गया और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर तथा उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामदगी दिखाकर, श्री अश्वनी कुमार दुबे, थाना प्रभारी, थाना इकाउना, श्रावस्ती (पी.एन.ओ. संख्या 880530329) द्वारा गिरफ्तारी/ बरामदगी का ज़ापन तैयार किया गया।

3.2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि श्री अश्वनी कुमार दुबे, थाना प्रभारी, थाना इकाउना, श्रावस्ती ने 12.5.2025 को धारा 109 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत थाना इकाउना, श्रावस्ती में आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 113/2025 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कि प्राथमिकी संख्या 110/2025 (उपरोक्त) के आरोपियों में से एक रात में नेपाल जाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने तीन टीमों गठित कीं, जिनमें से एक का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया, अर्थात् श्री अश्वनी कुमार दुबे, थाना प्रभारी, और उनके साथ सदस्य श्री विवेक पांडे, उप-निरीक्षक, संदीप यादव, आरक्षी, शेषराम वर्मा, आरक्षी थे; दूसरे दल का नेतृत्व अफजल सलीम खान (उप-निरीक्षक), प्रेमचंद (उप-निरीक्षक), राम सिंह (मुख्य आरक्षी), चंद्रेश कुमार (आरक्षी) और प्रिंस चौधरी (आरक्षी) कर रहे थे; और तीसरे दल का नेतृत्व विशाल यादव (उप-निरीक्षक), अवनीश यादव (उप-निरीक्षक), अतुल सिंह (आरक्षी) और अजय कुमार चौधरी (आरक्षी) कर रहे थे। सभी दल हथियारों से पूरी तरह लैस थीं। आगे आरोप है कि वे एक अज्ञात स्थान पर इंतजार कर रहे थे और अचानक उन्होंने ई-रिक्शा की बत्ती देखी, जिस पर दल के अधिकारियों ने ई-रिक्शा को रोकने का संकेत दिया, लेकिन ई-रिक्शा में बैठे व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों को देखकर उसे मोड़ दिया। श्री अश्वनी कुमार दुबे (थाना प्रभारी) ने उसे रुकने की चेतावनी दी, लेकिन ई-रिक्शा एक पेड़ से टकरा गया और उसमें बैठा व्यक्ति वाहन छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है। ई-रिक्शा में बैठे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्ति को दोबारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसके जवाब में उसने पुलिस दल को चुनौती देते हुए कहा कि उसका पीछा न करें अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा और अपनी बंदूक भरने का प्रयास किया, जिस पर आत्मरक्षा में थाना प्रभारी ने दो गोलियां चलाईं और जिला नियंत्रण कक्ष को भी सूचित किया। उसी समय उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी और जब दल रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके दोनों पैरों से खून बह रहा था। मौके पर देसी पिस्तौल और कारतूस भी पड़े थे। यह भी आरोप है कि पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपनी पहचान छोटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल, निवासी बेहननपुरवा, सेमघाड़ा, थाना इकाउना, श्रावस्ती के रूप में बताई और उसने प्राथमिकी संख्या 110/2025 (उपरोक्त) में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

3.3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में अपराध की जाँच श्री धर्म राज यादव, उप-निरीक्षक, थाना इकाउना (पी.एन.ओ. संख्या 152170910) को सौंपी गई थी। इसके बाद, यह श्री योगेश कुमार सिंह (पी.एन.ओ. संख्या 912320207), थाना नवीन मॉडर्न थाना, श्रावस्ती को सौंपी गई और उनके तबादले के बाद, जाँच श्री शंभू सिंह, उप-निरीक्षक (पी.एन.ओ. संख्या 912220180) को सौंप दी गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का यह स्वीकृत मामला है कि आवेदक की ओर से कोई गोलीबारी नहीं की गई थी, फिर भी पुलिस अधिकारी श्री अश्वनी कुमार दुबे द्वारा गोलीबारी की गई थी। बरामदगी मेमो से यह भी पता चलता है कि एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक चला हुआ कारतूस एफएसएल को भेजा गया था, लेकिन प्राथमिकी में यह उल्लेख है कि पिस्तौल की नली में एक जिंदा कारतूस मिला था और इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि आवेदक द्वारा गोली चलाई गई थी। यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 110/2025 (उपरोक्त) में जाँच अधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र अत्यंत यांत्रिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था।

3.4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 10 एस.सी.सी. 635 के मामले में जारी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए जाँच करने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर बनाम असम राज्य और अन्य, 2025 आई.एन.सी. 785 के मामले में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि आवेदक, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, को प्राथमिकी संख्या 110/2025 (उपरोक्त) के अपराध में संलिप्तता दर्शाते हुए वर्तमान मामले में फंसाया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि प्राथमिकी संख्या 110/2025 में शफीक को मौके पर ही पकड़ा गया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन, अधिकारियों को ज्ञात कारणों से, प्राथमिकी में उसके साथियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद, परीक्षण न्यायालय में उन्मोचन के लिए आवेदन दायर किया गया और आवेदक के उन्मोचन आवेदन पर निर्णय लेते समय सभी सबूतों की जाँच करना परीक्षण न्यायालय का कर्तव्य था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि पुलिस ने गोलीबारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जबकि बरामदगी जापन/ प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि आवेदक ने गोलीबारी की हो, और केवल कुछ शोर सुनकर टीम लीडर को लगा कि आवेदक अपना हथियार भर रहा है।

3.5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को 12.5.2025 को बिना किसी कानूनी सहायता/ न्याय मित्र उपलब्ध कराए, श्रावस्ती के विद्वान मुख्य न्यायिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायाधीश की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि परीक्षण न्यायालय उस मामले की जाँच करने में विफल रही जिसमें आवेदक को चोटें आई थीं और यह भी कि क्या आवेदक और उसके परिवार को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया था और सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन किए बिना, अस्पष्ट और निरर्थक तरीके से आवेदक का उन्मोचन आवेदन खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य (1979) 3 एससीसी 4 और दिलावर बालू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 2 एससीसी 135** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि आरोप तय करते समय या उन्मोचन आवेदन पर निर्णय लेते समय परीक्षण न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करना अनिवार्य है और विचारण न्यायाधीश केवल एक डाकघर अथवा अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि **पी.यू.सी.एल. बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त)** वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुठभेड़ के मामले में जाँच अपराध अन्वेषण विभाग या किसी अन्य थाना के पुलिस दल द्वारा की जानी चाहिए, हालांकि, वर्तमान मामले में, जाँच का एक हिस्सा उसी थाना के उप-निरीक्षक द्वारा किया गया था, जो मुठभेड़ दल के नेता के अधीनस्थ है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक अपील संख्या 361-362/2018 (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदण्ड के दोषसिद्धि आदेश को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कुछ टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.7.2025 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए और इस मामले में किसी अन्य संस्थान द्वारा आगे की जाँच के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. श्री एस.एम. सिंह रॉयकवार, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक प्राथमिकी संख्या 110/2025 (उपरोक्त) से संबंधित अपराध में संलिप्त था, जो 9.5.2025 को दर्ज की गई थी और भागने का प्रयास करते समय उसे पुलिस ने रोक लिया और पुलिस मुठभेड़ में उसे चोटें आईं। इसके बाद, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 113/2025 भी दर्ज की गई। विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी/ बरामदगी ज़ापन की प्रति आवेदक को अस्पताल में सौंपी गई थी, लेकिन उसने उसे अस्पताल में फाड़ कर फेंक दिया। हालांकि, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि आवेदक की संलिप्तता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 376 के अंतर्गत वाद संख्या 261/2012 में पाई गई थी, जिसमें परीक्षण न्यायालय ने मृत्युदण्ड दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। हालांकि, आवेदक की अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के फैसले को रद्द करते हुए स्वीकार कर लिया था।

4.1. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी 110/2025 (उपरोक्त) में, आवेदक को सत्र न्यायालय द्वारा वाद संख्या 221/2025 में 3.10.2025 को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 13.5.2025 के आदेश द्वारा, जाँच श्री योगेश सिंह, प्रभारी, थाना - नवीन मॉडर्न पुलिस थाना, श्रावस्ती को स्थानांतरित कर दी गई थी और श्री योगेश सिंह के स्थानांतरण पर, जाँच 29.6.2025 को श्री शंभू सिंह को सौंपी गई थी। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 5.7.2025 को आवेदक पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत वाद चलाने की स्वीकृति प्रदान की। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जाँच 7.7.2025 को समाप्त हो गई थी। यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 सप्लीमेंट 1 एससीसी 335**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में रिपोर्ट किये गए मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और डिस्चार्ज आवेदन खारिज कर दिया गया है, इसलिए इस स्तर पर जाँच को स्थानांतरित करना बहुत ही कम मामलों में और दुर्लभतम मामलों में ही किया जा सकता है, जहाँ यह दिखाया जा सके कि जाँच स्पष्ट रूप से अनुचित है। अंत में यह तर्क दिया गया कि उन्मोचन आवेदन को सही ढंग से खारिज किया गया है और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और आवेदन की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, जिनमें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णय भी शामिल हैं, का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि आवेदक को पहले एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें परीक्षण न्यायालय ने उसे मृत्युदण्ड दिया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसके बाद, आवेदक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 361-362/2018 (छोटकाऊ @ अल्लाहुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के रूप में स्वीकार किया, जिसमें दिनांक 28.9.2022 के आदेश द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को इस अवलोकन के साथ रद्द कर दिया गया कि आवेदक इतना गरीब था कि वह सत्र न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करने का खर्च वहन नहीं कर सकता था और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से बार-बार अनुरोध करने के बाद, उसे न्याय मित्र की सेवा प्रदान की गई। उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 87 में अभियोजन पक्ष की कार्रवाई की भी निंदा की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5.1. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 110/2025 दिनांक 9.05.2022 को रात 10:16 बजे थाना - इकाउना, श्रावस्ती में अजय जायसवाल द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने एक आरोपी को उसकी नाबालिग बेटी के साथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, लेकिन सह-आरोपियों के नाम शफीक से नहीं पूछे गए क्योंकि प्राथमिकी में केवल दो अज्ञात व्यक्तियों का विवरण दिया गया था।

शिकायतकर्ता अजय जायसवाल द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 नीचे दी गई है:-

“सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय इकाउना श्रावस्ती महोदय निवेदन है कि प्रार्थी अजय जायसवाल पुत्र रामविलास जायसवाल ग्राम चिचडी थाना इकाउना जनपद श्रावस्ती का निवासी हूँ। आज दिनांक 09.05.2025 को समय लगभग 09.15 PM मेरी पुत्री तनु उम्र 7 वर्ष को शफीक पुत्र अज्ञात निवासी इटाँड़ा थाना इकाउना जनपद श्रावस्ती अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मेरी पुत्री को जबरदस्ती फुसलाकर बैटरी रिकशा से लेकर भाग गया बाद में काफी ढूँढने के बाद मोहनीपुर चौराहे से आगे लड़की और मुलजिम रोड पर मिले जब मुलजिम को पकड़ने के लिए गये तो वह तेजी से भगा शफीक को पकड़ लिया गया बाकी उसके दो साथी फरार हो गया शफीक और पुत्री तनु को मेरे द्वारा पुलिस को सुपुर्द किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी अजय जायसवाल मो०नं० 73795XXXXX 96281XXXXX दिनांक 09.05.2025 नोट तहरीर की नकल अक्षरशः कम्प्यूटरीकृत किया गया। साफ्टवेयर की वजह से लिपिकीय त्रुटि होना सम्भावित है। अपराध की कायमी व विवरण हे० मो०

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मनोज कुमार तिवारी द्वारा बोल बोल कर अक्षरशः कम्प्यूटरीकृत करवा कर चिक किता करवाया गया।”

5.2. प्राथमिकी संख्या 113/2025 के अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, इकाउना थाना के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि प्राथमिकी संख्या 110/2025 के आरोपियों में से एक देश छोड़कर नेपाल जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधिकारियों को तीन दलों में विभाजित किया गया और उक्त अभियान का नेतृत्व श्री अश्वनी कुमार दुबे, थाना प्रभारी, इकाउना थाना, श्रावस्ती ने किया। बरामदगी के ज्ञापन में यह स्वीकार किया गया है कि एक दल सदस्य ने ई-रिक्शा की बत्ती देखी, लेकिन ई-रिक्शा में बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। भागने के दौरान ई-रिक्शा एक पेड़ से टकरा गया और जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसने पुलिस दल को चुनौती देते हुए कहा, ‘मेरा पीछा न करें, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा।’ यह भी स्वीकार किया गया है कि श्री अश्वनी कुमार दुबे, थाना प्रभारी को हथियार भरने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उन्होंने दो बार गोली चलाई। इसके बाद उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी और रेंगते हुए वे वहाँ पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसके दोनों पैरों से खून बह रहा है। उस व्यक्ति के पास एक देसी पिस्तौल और कारतूस भी पड़े मिले।

5.3. स्पष्ट रूप से, ज्ञापन में दल अग्रणी ने स्वीकार किया है कि उसने केवल हथियार भरने की आवाज सुनी थी और निर्विवाद रूप से, आवेदक द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई थी। हालाँकि, आश्चर्य की बात यह है कि फिर जाँच अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आरोप पत्र कैसे दाखिल किया?

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5.4. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि उक्त मुठभेड़ के बाद आवेदक के परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा, हालाँकि यह आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रति आवेदक को दी गई थी, लेकिन उसने अस्पताल में उसे फाड़ दिया, हालाँकि आवेदक को दिए गए उस फटे हुए गिरफ्तारी ज्ञापन की बरामदगी का कोई विवरण नहीं है।

5.5. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक के वाद में दिनांक 28.9.2022 को पारित आदेश में, अर्थात् आपराधिक अपील संख्या 361-362/2018 (उपरोक्त) में यह टिप्पणी की थी कि आवेदक इतना गरीब था कि वह अपना बचाव करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ था। वर्तमान वाद में भी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुनर्विचार के समय आवेदक को कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी। यह स्वीकार किया जाता है कि उन्मोचन आवेदन को खारिज करते समय परीक्षण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया था।

6. तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है, आवेदक के उन्मोचन आवेदन पर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.7.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

7. परीक्षण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक को पर्याप्त कानूनी सहायता प्रदान करने के बाद उन्मोचन आवेदन पर नया आदेश पारित करे।

(न्यायामूर्ति राजीव सिंह)

मार्च 26, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।